



लोक सेवा आयोग, 30प्र0

विज्ञापन संख्या-
ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003

डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन उ. प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <http://uppsc.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पढ़ति लागू है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन में अंकित सूची में दिए गए डाकघरों से क्रय कर सकते हैं। जे.पी.जी. सिरीज के आवेदन पत्रों (सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रु. 150/- तथा जे.पी.आर. सिरीज (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रु. 90/- है। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे।

3. अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो स्टेट प्रति अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य के पत्राचार में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर मार्च, 2004 में एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का नाम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों का आवेदन आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा।

2. **रिक्तियाँ :-** रिक्तियों की कुल संख्या-347 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 रिक्तियाँ आवंटित हैं। शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/1995 टी.सी.-1/97, दिनांक 20.9.97 में दिए प्रावधानानुसार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दो प्रतिशत तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। पद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. के चयन के विकल्पों को आरक्षण दिया जाना अनुमत्त नहीं है।

नोट :- (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित निर्धारित रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें एवं जब उसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक फुट जो अधिक लाभकारी हो, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक जो उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमत्त नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम-8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ : (1) विशेष अनुज्ञा याचिका सं. - 15768/2001 मंजुला सरकार बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (2) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (3) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 628/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (4) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18824/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह एवं (5) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा परित निर्णय के अधीन

जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। हाथो-हाथ आवेदन पत्र जमा करने पर काउन्टर से रसीद अवश्य प्राप्त करें।

8. **डाकघरों की सूची :-** आगरा (282 001), अलीगढ़ (202 122), इलाहाबाद एच.ओ. (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद कैवलरी लाइन्स (211 004), इलाहाबाद (दारागंज) 211 006, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर अम्बरपुर-224 122, औरैया-200 122, आजमगढ़- 276 001, बदायूँ-243 601, बागपत-250 009, बहराइच-271 801, बलरामपुर-271 201, बलिया-277 001, बांदा-210 001, बाराबंकी - 225 001, बरेली-243 001, बस्ती (बांसी)-272 161, बिजनौर-246 701, बुलंदशहर-203 001, चन्दौली-232 109, चित्रकूट (कर्वी)-201 205, देवरिया-274 001, एटा-207 005, इटावा-206 001, फैजाबाद-224 001, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)-209 625, फतेहपुर-212 601, फिरोजाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाजियाबाद-201 001, गाजीपुर-233 001, गोडा-271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर-210 301, हरदोई-241 001, हाथरस-207 101, जालौन (उरई)-285 001, जौनपुर-222 001, झांसी-284 001, ज्योतिबाफुलेनगर-(असरोहा) 272 127, कन्नौज-209725, कानपुर जी.पी.ओ.-208 004, कानपुर कैन्ट-208 001, कानपुर नवाबगंज, कौशाम्बी (मझनपुर)-212 207, कुशीनगर (पडरौना)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर-284 403, लखनऊ जी.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (चौक)-226 003, महाराजगंज-221 010, महोबा-210 427, मैनपुरी-205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पीलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 901, सहारनपुर-247 001, संतकबीर नगर (खलीलाबाद), सत रविदास नगर (भदोही), शाहजहाँपुर-242 001, श्रावस्ती (भिगा), सिद्धार्थनगर (टिटरी बाजार), सीतापुर- 267 001, सोनभद्र (रावर्टसगंज), सुल्तानपुर-228 001, उन्नाव-209 801, वाराणसी एच.क्यू. - 221 001, वाराणसी कैन्ट-221 002।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (1) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- (2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयावधिगत होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।
- (3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेगा। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के 30 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुस्मारक भेजना चाहिए। आयोग कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद प्रस्तुतिकरण के समय दी जाती है, प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करें।
- (4) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या - 22/10/1976-का-2-85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :-

(ए) आवेदकों को सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी का इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गई है तथा उन्हें विकृत कोई अनुशासनिक

(साक्षात्कार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

- (15) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

परिशिष्ट-1

केन्द्रों के नाम :-

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	जनपद
1.	आगरा	2	इलाहाबाद
3.	बरेली	4	गोरखपुर
5.	झाँसी	6	लखनऊ
7.	मेरठ	8	वाराणसी

परिशिष्ट-2

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-प्रथम	2 घंटे	अंक-150
-------------------	--------	---------

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामलों और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र-द्वितीय

2 घंटे

अंक-300

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में, हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

- विधि शास्त्र
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
- वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण
- भारतीय संविधान
- सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम
- भारतीय दण्ड संहिता
- सिविल प्रक्रिया संहिता
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता
- सविदा विधि

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :-

प्रश्न पत्र संख्या - 1 सामान्य ज्ञान :-

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। "सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न पत्र होगा।